फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी: सुरेन्द्र सिंह विपक्षी: शम्भुसिंह

किस्म मुकदमा: 88, 188 RTA(?) पत्रावली संख्या: 104/22 सन् ____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पा... सूचनाएं जारी...
	29/4/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप वारिस कायमी के लिये मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/6/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
	24/06/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजें दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को पूर्व में भी वारिस कायमी हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वारिस कायमी नहीं करवाने से यह प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं। आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] कम हो। निर्णय खुले न्यायालय [illegible] सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला-उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested